

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 का आपराधिक विविध वाद संख्या 32212

पीएस से उत्पन्न मामला संख्या- वर्ष-1111 थाना- जिला-

=====

1. महेश उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय श्योबंश उपाध्याय, निवासी, ग्राम- रानी तालाब, थाना- रानी तालाब, जिला-पटना
2. राजनधारी उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय जगदीश उपाध्याय निवासी, ग्राम-रानी तालाब, थाना- रानी तालाब, जिला-पटना

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रहलाद उपाध्याय
3. लक्ष्मण उपाध्याय
4. मुन्ना उपाध्याय सभी विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 4 स्वर्गीय राम जनम उपाध्याय के पुत्र हैं
5. नारायण उपाध्याय
6. नरेंद्र उपाध्याय
7. राम राज उपाध्याय सर्वविपरीत पक्ष संख्या 5 से 7 स्वर्गीय गिरजा उपाध्याय के पुत्र हैं
8. बबन उपाध्याय
9. शिव नंदन उपाध्याय दोनों विरोधी पक्ष क्रमांक 8 और 9 स्वर्गीय बिरजा नंद उपाध्याय उर्फ बृजनंदन उपाध्याय के पुत्र हैं
10. राजा राम उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय हरि उपाध्याय
11. शंभू उपाध्याय

12. राम बचन उपाध्याय दोनों विरोधी पक्ष संख्या 11 एवं 12 स्वर्गीय बैजनाथ उपाध्याय के पुत्र हैं
13. संजय उपाध्याय
14. विजय उपाध्याय दोनों विरोधी पक्ष क्रमांक 13 एवं 14 स्वर्गीय रामप्रवेश उपाध्याय के पुत्र हैं सभी विपरीत पक्ष संख्या 2 से 14 ग्राम जीतन छपरा, डाकघर रजीपुर थाना-रानी तालाब जिला-पटना के निवासी हैं

..... विपक्षी पक्ष/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं की ओर से	:	श्री बक्सी एस.आर.पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री शैलेश कुमार, अधिवक्ता
ओपी क्रमांक 2 से 14 के लिए	:	श्री के.एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री अंबुज नयन चौबे, अधिवक्ता
विपक्षी पार्टी/दलों के लिए	:	श्री झारखंडी उपाध्याय, एपीपी

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 145—किसी भी पक्ष के कब्जे का निर्णय किए बिना एक आदेश पारित किया गया था, जिससे 'शांति भंग करने का खतरा' जारी रह सके—आपराधिक पुनरीक्षण में पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और पक्षकारों के सामान्य पूर्वज के बारे में तथ्यों और शीर्षक वाद के तथ्यों को सत्यापित करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के निर्देश के साथ अलग रखा गया कि पक्षकारों का अधिकार पहले ही तय हो चुका था, क्वा, उनके शीर्षक और कब्जे को शीर्षक वाद के मद्देनजर जो समझौते के आधार पर तय किया गया था, विवादित भूमि के टुकड़े के

संबंध में, संहिता की धारा 145 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है और इस तरह कार्यवाही शुरू करने से पहले पूर्वोक्त मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में पहले जांच की जानी चाहिए—आवेदन अनुज्ञात किया गया ।

(पैरा 4, 5, 9 और 10)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 01-05-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 407/2002 में पारित दिनांक 09.05.2016 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में संहिता) की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में कांड संख्या 505 (एम)/1999 में विद्वान एसडीएम पालीगंज द्वारा पारित दिनांक 21.05.2002 के आदेश के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसमें विवादित भूमि पर याचिकाकर्ताओं का कब्जा घोषित किया गया था और विपक्षी पक्षों को उक्त भूमि पर जाने से रोक दिया गया था, को अनुमति दी गई है और विद्वान एसडीएम पालीगंज द्वारा पारित दिनांक 21.05.2002 के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

3. अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि अयोध्या उपाध्याय याचिकाकर्ताओं के पूर्वज थे जिनके तीन पुत्र थे, जिनके नाम नन्दकेश्वर उपाध्याय,

ब्रह्मदेव उपाध्याय और नरसिंह उपाध्याय थे, जिनमें से ब्रह्मदेव उपाध्याय और नरसिंह उपाध्याय की मृत्यु निःसंतान हो गई, जबकि नन्दकेश्वर उपाध्याय के छः पुत्र थे, जिनके नाम सूर्यनाथ उपाध्याय, राम एकबाल उपाध्याय, राम कृपाल उपाध्याय, पारसनाथ उपाध्याय, राम नरेश उपाध्याय और दूधनाथ उपाध्याय थे, जिनमें से सूर्यनाथ उपाध्याय, राम कृपाल उपाध्याय, राम नरेश उपाध्याय और दूधनाथ उपाध्याय की मृत्यु निःसंतान हो गई, जबकि राम एकबाल उपाध्याय के तीन पुत्र थे, जिनके नाम जगदीश उपाध्याय, देववंश उपाध्याय, शिववंश उपाध्याय और पारसनाथ उपाध्याय के दो पुत्र थे, जिनके नाम राम उपाध्याय और शाम उपाध्याय थे। याचीगण इस वंशावली तालिका के सदस्य हैं और विचाराधीन भूमि उनकी *खतियानी* और पैतृक भूमि है, जबकि विपक्षीगण न तो इस वंशावली तालिका के सदस्य हैं और न ही उनका प्रश्नगत विवादित भूमि से किसी भी प्रकार से कोई संबंध है। लेकिन विपक्षीगण याचीगण की पैतृक संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार, पटना द्वारा जारी वंशावली तालिका इसका प्रमाण है।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बक्सी एस.आर.पी. सिन्हा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि विवादित आदेश उसी तरह पारित किया गया जैसा कि अपीलीय न्यायालय ने पारित किया था, जिसमें किसी भी पक्ष के कब्जे का फैसला किए बिना 'शांति भंग होने का खतरा' जारी रहने दिया गया। यह बताया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश को अलग रखते हुए दोनों पक्षों में से किसी एक के कब्जे का फैसला किया होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि यदि पुनरीक्षण न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट था कि विरोधी पक्ष/संशोधनकर्ता *समान* पूर्वज हैं, तो याचिकाकर्ताओं के साथ -साथ संयुक्त समझौते के आधार पर पारित शीर्षक वाद संख्या 44/1922 पर भी कार्यवाही के दौरान विचार नहीं किया गया, जो कि विरोधी पक्षों द्वारा दलील दिए जाने के बावजूद 17.02.1923 के आदेश के अनुसार पारित किया गया था,

तो मामले को उन दस्तावेजों पर विचार करने के लिए विद्वान न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए। एसडीएम को पक्षकारों के बीच उनके कब्जे के मुद्दे को खुला रखने के बजाय नया आदेश पारित करना चाहिए, जो कि दं.प्र.सं. की धारा 145 के तहत कार्यवाही का अंतिम उद्देश्य है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. एन. चौबे, विपक्षी पक्षों की ओर से पेश होते हुए दलील दी गई कि चूंकि विवादित भूमि के बारे में पर्याप्त निष्कर्ष बहुत पहले ही शीर्षक वाद संख्या 44/1922 के माध्यम से सुलझा लिया गया है, इसलिए उक्त भूमि के टुकड़े के संबंध में संहिता की धारा 145 के तहत वर्तमान कार्यवाही शुरू करना स्थापित कानून के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। यह भी दलील दी गई कि संहिता की धारा 145 के तहत वर्तमान कार्यवाही शुरू करना पूरी तरह से काल्पनिक आधार पर विपक्षी पक्षों के कब्जे को बाधित करने के लिए है, जिसे पहले ही शीर्षक वाद संख्या 44/1922 के माध्यम से सुलझा लिया गया है। यह दलील दी गई कि शीर्षक वाद संख्या 44/1922 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों पक्ष एक ही हरिबंश उपाध्याय के सामान्य पूर्वज हैं।

6. तर्क का समापन करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि मामला वापस विद्वान विचारण न्यायालय में भेजा जाता है तो विचारणीय तथ्य ये हैं:-

6.1. समान पूर्वज के संबंध में जांच हरिबंश उपाध्याय की याचिका, जिसे याचिकाकर्ताओं ने शपथ पर विशेष रूप से अस्वीकार किया है और साथ ही शीर्षक वाद संख्या 44/1922 के निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसके बिना न्यायोचित और उचित निर्णय संभव नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एसडीएम पालीगंज का दिनांक 21.05.2002 का आदेश भी कानून की नज़र में गलत प्रतीत होता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कब्जा दिया गया था कि विवादित भूमि को शीर्षक वाद संख्या 44/1922 के निष्कर्षों की अनदेखी

करके याचिकाकर्ताओं की "खतियानी भूमि" माना गया है।

7. ऐसा होने पर, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील में बल मिलता है कि विद्वान एसडीएम, पालीगंज के दिनांक 21.05.2002 के आदेश को निरस्त करते हुए दोनों पक्षों में से किसी का भी कब्जा खुला छोड़ दिया गया है, जो संहिता की धारा 145 के उद्देश्य के विरुद्ध है, जहां मामले को साक्ष्य पर विचार करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए, जिस पर दिनांक 21.05.2002 को आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया।

8. संहिता की धारा 145 को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा जो इस प्रकार है:-

145. प्रक्रिया जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है।— (1) जब कभी कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना से संतुष्ट हो कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं के संबंध में ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे शांति भंग होने की संभावना है, तो वह अपने संतुष्ट होने के आधारों को बताते हुए लिखित आदेश देगा और ऐसे विवाद से संबंधित पक्षकारों से यह अपेक्षा करेगा कि वे निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उसके न्यायालय में उपस्थित हों और विवाद के विषय पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने-अपने दावों के लिखित कथन प्रस्तुत करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भूमि या जल" में

इमारतें, बाज़ार, मत्स्य पालन, फसलें या भूमि की अन्य उपज और ऐसी कोई भी संपत्ति का किराया या लाभ शामिल है।

(3) आदेश की एक प्रति निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी। इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति पर समन की तामील या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित व्यक्ति, तथा कम से कम एक प्रति प्रकाशित की जाएगी किसी प्रमुख स्थान पर चिपका हुआ या विवाद के विषय के निकट हो।

(4) तब मजिस्ट्रेट, विवाद के विषय पर कब्जे के अधिकार के संबंध में किसी भी पक्षकार के गुण-दोष या दावे पर ध्यान दिए बिना, इस प्रकार दिए गए कथनों पर विचार करेंगे, पक्षकारों को सुनेंगे, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य प्राप्त करेंगे, यदि कोई हो, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेंगे कि उप-धारा (1) के अधीन उनके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख को विवाद के विषय पर किसी पक्षकार का और कौन-सा पक्षकार विवाद के विषय पर कब्जे में था:

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी पक्षकार को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख से ठीक पहले के दो मास के भीतर या उस तारीख के पश्चात और उप-धारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख से पहले बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल किया गया है, तो वह इस प्रकार बेदखल किए गए पक्षकार को इस प्रकार मान सकता है मानो वह पक्षकार उप-धारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जे

में था।

(5) इस धारा में कुछ भी निरोधक नहीं होगा किसी भी पक्ष को उपस्थित होना आवश्यक है, या कोई भी अन्य व्यक्ति की रुचि, यह दर्शाने से उपर्युक्त जैसा कोई विवाद मौजूद नहीं है या नहीं अस्तित्व में था; और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा, तथा आगे के सभी आदेश रद्द कर देगा उस पर कार्यवाही रोक दी जाएगी, लेकिन, ऐसे निरस्तीकरण के अधीन, का आदेश उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट अंतिम होगा.

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि पक्षकारों में से एक पक्षकार उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन उक्त विषय पर ऐसे कब्जे में था या माना जाना चाहिए, तो वह ऐसे पक्षकार को विधि के सम्यक् अनुक्रम में उससे बेदखल किए जाने तक उस पर कब्जे का हकदार घोषित करते हुए आदेश जारी करेगा और ऐसे बेदखली तक ऐसे कब्जे में किसी भी प्रकार की बाधा का निषेध करेगा; और जब वह उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन कार्यवाही करेगा, तो बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल किए गए पक्षकार को कब्जा वापस दिला सकता है।

(ख) इस उपधारा के अधीन किया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित तरीके से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही में कोई पक्षकार मर जाता है, तो मजिस्ट्रेट मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही में पक्षकार बना सकेगा और उसके बाद जांच जारी रखेगा, और यदि कोई प्रश्न

उठता है कि ऐसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए मृतक पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृतक पक्षकार के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को उसमें पक्षकार बनाया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि संपत्ति की कोई फसल या अन्य उपज, जो उसके समक्ष इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में विवाद का विषय है, शीघ्र और प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या बिक्री के लिए आदेश दे सकता है और जांच पूरी होने पर ऐसी संपत्ति या उसकी बिक्री से प्राप्त आय के निपटान के लिए ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे।

(9) मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, इस धारा के अधीन कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी साक्षी को सम्मन जारी कर सकेगा जिसमें उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का निर्देश दिया जाएगा।

(10) इस धारा की कोई भी बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अल्पीकरण में नहीं समझी जाएगी।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक तथ्यों के मद्देनजर चर्चाओं के आलोक में, दंड पुनरीक्षण संख्या 407/2002 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर द्वारा पारित दिनांक 09.05.2016 के आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है और विद्वान एसडीएम पालीगंज को निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षों के सामान्य पूर्वज के संबंध में तथ्यों और शीर्षक वाद संख्या 44/1922 के तथ्यों की भी पुष्टि करने के बाद एक नया आदेश पारित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि विद्वान एसडीएम पालीगंज को ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्षक वाद संख्या 44/1922 के मद्देनजर पक्षों के

अधिकार पहले ही तय हो चुके हैं, जो कि विवादित भूमि के टुकड़े के संबंध में दिनांक 17.02.1923 के आदेश के तहत समझौते के आधार पर तय किया गया था, तो संहिता की धारा 145 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है और ऐसे में उपरोक्त मुद्दों की पहले प्रारंभिक मुद्दों के रूप में जांच की जानी चाहिए, जैसा कि विपरीत पक्षों द्वारा उठाया गया।

10. आवेदन उपर्युक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है।

11. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान विचारण न्यायालय/पुनरीक्षण न्यायालय को भेजी जाए, साथ ही एलसीआर कोई हो, भी भेजी जाए ।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।